MPOnline Limited

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

के अंतर्गत

संविदा अस्पताल प्रबंधक

के रिक्त पदों पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से भर्ती हेतु

नियम पुस्तिका

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष 2014–15

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत संविदा अस्पताल प्रबंधकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. जिला स्तरीय अस्पताल प्रबंधक हेतु कुल 51 संविदा जिलों में स्वीकृत हैं। रिक्त संविदा पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका –1

क्र.	संविदा पद का नाम	स्वीकृत रिक्त संविदा पद संख्या
1	**अस्पताल प्रबंधक (Hospital Manager)**	51

2. संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय आरक्षण लागू होगाः–

तालिका –2

संविदा पद का नाम	स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	सामान्य		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		विकलांग (अस्थि बाधित – 40% से अधिक)	योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	
अस्पताल प्रबंधक	**51**	**17**	**8**	**7**	**3**	**6**	**2**	**5**	**2**	**1**	**51**

2.1 विकलांग हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 40% से अधिक अस्थिबाधित अभ्यर्थियों को ही विवेचना में लिया जायेगा।

2.2 हाथों की विकलांगता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित विकलांगता की अधिकतम सीमा 60 % स्वीकार्य होगी।

3. चयन प्रक्रिया – उपरोक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार हैः–

क्र.	संविदा केडर	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
1.	**District Hospital Manager**	1. MBA Hospital Administration or 2. Two year regular fulltime postgraduate degree or diploma in Hospital Management (Any of the above awarded by AICTE/UGC recognized university/institute)
		कम्प्यूटर योग्यताः कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/डिग्री या डिप्लोमा ('o' level or higher course recognized by UGC/AICTE)
		वांछिनीय कार्य अनुभव
		50 बेड या अधिक क्षमता के अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक का 1 वर्ष का कार्यनुभव (नोट : शैक्षणिक योग्यता के पूर्व का अनुभव मान्य नहीं किया जायेगा।)
❖ **कार्यानुभव मान्य किये जाने हेतु शासकीय संस्थान/परियोजना द्वारा जारी वेतन/मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटौत्रा संबंधी दस्तावेज अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में बैंक स्टेटमेंट 06 माह का प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**		

4. जिला अस्पताल प्रबंधकं हेतु एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे एवं **परिशिष्ट–1** में दर्शाये न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनिवार्य कार्यानुभव के आधार पर 100 अंकों के स्कोरिंग प्रपत्र अनुरूप वरीयता सूची बनायी जायेगी।
5. वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जायेगा ।
6. वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जायेगा ।
7. रिक्त पदों का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है। ऑनलाईन काउंसलिंग के दौरान समस्त जिलों के चयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा अनुसार पदस्थापना हेतु समस्त जिलों में से प्राथमिकता क्रम में किन्ही तीन जिलों का भी विकल्प दिया जा सकेगा।
8. साक्षात्कार हेतु 25 अंक निहित है जिसमें अंको का विभाजन निम्नानुसार किया जाये गा :–

SN	Description	Alloted Marks
1	Subject Specific Knowledge	5
2	Awareness regarding Public Health Issues, especially in MP context.	5

3	Comprehension of Data Mangement in Health Systems	5
4	Communication and Presentation skills	5
5	Relevant Experience and Trainings	5

9. साक्षात्कार के उपरांत श्रेणीवार कुल प्राप्तांकों के वरीयता क्रम अनुसार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये जिलो के विकल्पों के अनुसार जिले का आबंटन साक्षात्कार समिति द्वारा किया जायेगा। यदि वरीयता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में कोई जिला शेष जिला नहीं बचा हो तो बचे हुये जिलों मे से किसी एक में अभ्यर्थी की पदस्थापना की जा सकेगी।
10. वरीयता सूची के संबंध में चयनित आवेदकों को एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एस.एम.एस. तथा ई–मेल से सूचित किया जायेगा। अतः आवेदकों को अपना सही मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. की जानकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।
11. आवेदन के समय एम.पी.आनलाईन लिमिटेड के पोर्टल पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजो को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
    - हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
    - जिला अस्पताल प्रबंधक पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
    - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि
    - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र
    - विकलांगता प्रमाण पत्र (अस्थिबाधित अभ्यर्थी हेतु)
12. एम.पी.आनलाईन लिमिटेड द्वारा स्कैन अभिलेखो को परीक्षण करने के उपरांत अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की प्रावधिक वरीयता सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
13. प्रावधिक वरीयता सूची के प्रर्दशन उपरांत सभी अभ्यर्थियों को आपत्तियां दर्ज करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। आपत्तियां एम.पी.आनलाईन लिमिटेड के पोर्टल पर वर्तमान व्यवस्था अनुसार की जा सकेंगी। इसके लिये सूचना सभी अभ्यर्थियों को एसएमएस द्वारा भेजी जायेगी।
14. आपत्ति स्वीकृत होने पर संबंधित अभ्यर्थी को जानकारी में संशोधन करने तथा अतिरिक्त अभिलेख अपलोड करने का अवसर दिया जायेगा।
15. आपत्तियों के निराकरण के पश्चात पुनरीक्षित वरीयता सूची प्रदर्शित की जायेगी, इसके साथ ही आरक्षण श्रेणी अनुसार 1:5 के अनुपात में राज्य स्तरीय कार्यालय में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।
16. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व समस्त अभिलेखो की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगी एवं मूल दस्तावेज़ भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना होंगे। यदि स्कैन किये गये दस्तावेजो तथा मूल दस्तावेज में कोई भिन्नता पायी गई तो अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
17. दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव मान्य किये जाने के लिये अभ्यर्थी को कार्य अनुभव के प्रमाण के रूप में नियोक्ता द्वारा जारी 06 माह का वेतन पत्रक/टीडीएस काटौत्रा पत्रक/बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में कार्य अनुभव को मान्य नहीं किया जायेगा।

18. उपरोक्त समस्त दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी दस्तावेज़ों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी अथवा संविदा नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

19. साक्षात्कार के उपरांत श्रेणीवार कुल प्राप्तांकों के वरीयता क्रम अनुसार अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दिये गये जिलो के विकल्पों के अनुसार जिले का आबंटन साक्षात्कार समिति द्वारा किया जायेगा। यदि वरीयता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों में कोई जिला शेष जिला नहीं बचा हो तो बचे हुये जिलों मे से किसी एक में अभ्यर्थी की पदस्थापना की जा सकेगी।

20. उपरोक्तानुसार चयन होने के उपरांत चयन सूची एम.पी.आनलाईन लिमिटेड के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

21. साक्षात्कार मे सम्मिलित शेष सभी अभ्यर्थियो के नाम श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करते हुये प्रतीक्षा सूची भी एम.पी.आनलाईन लिमिटेड के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची जारी किये जाने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी तथा संबंधित श्रेणी में पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से संविदा नियुक्ति की जा सकेगी।

22. प्रतीक्षा सूची से जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जायेगी जिलों के विकल्पों हेतु उनकी प्राथमिकता का संज्ञान लेना आवश्यक नहीं होगा। शेष बचे किसी भी जिले में उनकी पदस्थापना की जा सकेगी।

23. चयनित अभ्यर्थियों को चयन की सूचना एम.पी.आनलाईन लिमिटेड के द्वारा एसएमएस व ई–मेल से भेजी जायेगी।

24. **परिशिष्ट–2** में दर्शाये अनुसार समस्त संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक की पदस्थापना, आवंटित जिले के जिला मुख्यालयों पर की जायेगी।

25. चयन के उपरांत पदस्थापना आदेश मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। तदनुसार सभी नियुक्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के संविदा पर नियुक्त कर्मचारी होंगे।

26. चयनित अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा किये गये चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही संविदा वैध होगी।

27. **निर्हतायेः–**

26.1 उम्मीदवारी में सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी स्त्रोत से किया गया कोई भी प्रयास अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

26.2 **कूटरचित अभिलेख**/फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने एवं चयन के समय जानकारी छिपाना भी अभ्यर्थी के लिए अनर्हकारी माना जायेगा।

26.3 **कदाचरण संबंधी –** शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में कदाचरण के परिणामस्वरूप पदच्युत अथवा नैतिक पतन हेतु दण्डित कर्मचारी को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

26.4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति के किसी संविदा कर्मचारी की संविदा कार्य आधारित मूल्यांकन अथवा कदाचरण के कारण समाप्त किये जाने की स्थिति में ऐसे कर्मचारी को इस संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

26.5 ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हों अथवा किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो, को संविदा पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। नियुक्ति उपरांत भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

26.6 ऐसे अभ्यर्थी जिनके दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, उन्हे संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगी। परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ हो।

26.7 विवाह संबंधी – ऐसे अभ्यर्थी जिनका विवाह नियत की गई न्यूनतम आयु अर्थात पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले हुई हो, उन्हे संविदा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

28. **संविदा अवधि एवं संविदा नियम –**

27.1 उपरोक्त संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से दिनांक 31 मार्च, 2015 तक के लिए होगी। उक्त अवधि के पश्चात जिला अस्पताल प्रबंधक के कार्य आधाारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर नियुक्ति अवधि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

27.2 संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।

27.3 संविदा नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन/स्थानांतरण का प्रावधान नहीं होगा।

27.4 उपरोक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी, 2015 को की जावेगी।

27.5 महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) एवं (पुरूष/महिला आवेदक अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी प्रवर्ग की आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

27.6 संविदा कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें ।

27.7 यदि किसी न्यायोचित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

27.8 निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

27.9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संविदा कर्मचारी के मध्य नियोक्ता–कर्मचारी के संबंध होंगे। संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवायें प्रदान करने के बदले में निर्धारित एकमुश्त मानदेय राशि प्राप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में उन्हें शासकीय सेवा की पात्रता हासिल नहीं होगी।

27.10 नियुक्ति उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके नियुक्ति स्थान पर निवास करना अनिवार्य होगा।

27.11 संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जायेगा।

27.12 संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दोषी पाये जाने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

27.13 संविदा कर्मचारी मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा।

27.14 जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थितिजन्य कारणों से संविदा नियुक्ति एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

27.15 संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश की राज्य स्वास्थ्य समिति को एक माह की पूर्व सूचना अथवा उक्त समिति के खाते में एक माह के संविदा मानदेय समतुल्य राशि जमा करना होगी ।

29. **मासिक मानदेय :–**

28.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत नियुक्त जिला अस्पताल प्रबंधक को **परिशिष्ट–3** में दर्शायें अनुरूप प्रतिमाह एकमुश्त मासिक मानदेय राशि का ई–भुगतान किया जायेगा।

28.2 **महंगाई एवं अन्य भत्ते जैसे** – गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।

30. **यात्रा एवं दैनिक भत्ता –** संविदा कर्मचारी द्वारा शासकीय कार्य से यात्रा करने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित प्रावधान अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी **(परिशिष्ट- 5)।**

इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

31. **टी.डी.एस. कटौत्रा –** संविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशि में से प्रतिमाह टी.डी.एस. कटौत्रा किया जायेगा।

32. **अवकाश –**

31.1 **आकस्मिक अवकाश –** संविदा पर नियुक्त हुये कर्मचारी को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

31.2 किसी भी एक समय पर 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु निरंतर आकस्मिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी। 3 दिवसों से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक किया जायेगा।

31.3 एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।

31.4 मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाना होगी।

31.5 कार्य सुविधा की दृष्टि से निर्देशानुसार शासकीय अवकाश दिवसों पर भी आवश्यकता पड़ने पर संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक को उपस्थित होना पड़ेगा।

33. **चिकित्सा अवकाश –** संविदा पर नियुक्त जिला स्तरीय अस्पताल प्रबंधक को नियमानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश की पात्र होगी।

32.1 3 दिवस से अधिक चिकित्सा अवकाश हेतु राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा–प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

32.2 चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणित नहीं किया जायेगा।

32.3 प्रसूति अवकाश – संविदा महिला जिला अस्पताल प्रबंधक को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश मात्र दो जीवित सन्तानों तक ही देय होगा।

32.4 पुरूष संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी। पितृत्व अवकाश प्रथम दो जीवित संतानों तक ही देय होगा।

34. **अनुबंध –**

33.1 संविदा जिला स्तरीय अस्पताल प्रबंधक द्वारा आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि 100/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा।

33.2 उपरोक्त अनुबंध संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

33.3 अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

33.4 चयनित अभ्यर्थी को उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा सेवा में माना जायेगा।

35. **अन्य नियम –**

34.1 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त जिला अस्पताल प्रबंधक बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

34.2 संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करना प्रतिबंधित होगा।

34.3 संविदा पर नियुक्त जिला अस्पताल प्रबंधक को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

34.4 नियुक्ति उपरांत नियुक्त जिला अस्पताल प्रबंधक द्वारा कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकल्प में लिप्त होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त संविदा कर्मचारी की नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

34.5 यदि संविदा पर नियुक्त कोई जिला अस्पताल प्रबंधक बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

34.6 संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक की नियुक्ति अथवा संविदा अवधि में किसी भी प्रकार की विवाद की दशा में संबंधित जिले के न्यायालय की अधिकारिता होगी।

34.7 नियुक्ति उपरांत किसी भी समय पर संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक द्वारा वित्तीय अनियमितता में दोष सिद्ध होने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

34.8 संविदा पद हेतु प्रदर्शित पद संख्या परिवर्तनशील है, जिसे मिशन की आवश्यकता अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

34.9 जिला अस्पताल प्रबंधक के कार्य दायित्वों का विवरण **परिशिष्ट–4** पर संलग्न है।

34.10 ऑनलाइन आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा। त्रुटि सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विभाग द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में गलत अंकन के फलस्वरूप यदि अभ्यर्थी चयनित होता है तो दस्तावेज परीक्षण उपरांत उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी। इस संबंध में कोई दावे स्वीकार्य नही होगें।

34.11 नियुक्ति आदेश में पदस्थल आवंटन उपरांत, कोई भी आवेदन स्थानांतरण/ आपसी स्थानांतरण /पदस्थल परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

34.12 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा जारी संविदा मानव संसाधन मैनुअल अगस्त 2014 के प्रावधान लागू होंगे।

संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक एन.आर.एच.एम.,म.प्र. के संविदा पद हेतु चयन मापदण्ड कुल अंक – 100

क्र.	अर्हता		अंको का कुल वेटेज	मेरिट निर्धारण हेतु मापदण्ड
	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता			
1	1. MBA Hospital Administration or 2. Two year regular fulltime postgraduate degree or diploma in Hospital Management (Any of the above awarded by AICTE/UGC recognized university/institute)		50	1. अनिवार्य शैक्षणिक डिग्री में प्राप्तांको को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाए। 2. वरीयता निर्धारण हेतु 2 दशमलव तक के अंकों को विवेचना में लिया जाए। 3. वरीयता सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त किये जाने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को विवेचना में लिया जाए। 4. **उदाहरणार्थ –** • यदि MBA(HA) योग्यता धारी आवेदक के 50% अंक हैं तो 50 x 50% = 25 अंक प्राप्त होंगे।
	अधिकतम प्राप्तांक		50	
	कम्प्यूटर योग्यता : 1. कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट कोर्स/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/डिग्री या डिप्लोमा ('o' level or higher course recognized by UGC/AICTE)			10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		10	
	वांछनीय कार्यानुभव			
3	50 बेड या अधिक क्षमता के अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक का 1 वर्ष का कार्यनुभव (नोटः उपरोक्त क्र.1 की शैक्षणिक अर्हता के पूर्व का अनुभव मान्य नहीं होगा।)	2 वर्ष अथवा अधिक		15 अंक
		0 वर्ष से 1 वर्ष		10 अंक
	अधिकतम प्राप्तांक		15	
4	**विभागीय साक्षात्कार**		25	
	कुल प्राप्तांक		100	

परिशिष्ट – 2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक हेतु रिक्त पदों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	अस्पताल प्रबंधक के रिक्त पद
1.	BHOPAL	1
2.	Sehore	1
3.	Raisen	1
4.	Rajgarh	1
5.	Vidisha	1
6.	Betul	1
7.	Hoshangabad	1
8.	Harda	1
9.	GWALIOR	1
10.	Bhind	1
11.	Morena	1
12.	Shivpuri	1
13.	Guna	1
14.	Ashok Nagar	1
15.	Datia	1
16.	Sheopur	1
17.	SAGAR	1
18.	Panna	1
19.	Damoh	1
20.	Tikamgarh	1
21.	Chhatarpur	1
22.	JABALPUR	1
23.	Katni	1
24.	Mandla	1
25.	Dindori	1
26.	Narsinghpur	1
27.	Balaghat	1
28.	Seoni	1
29.	Chhindwara	1
30.	REWA	1
31.	Sidhi	1
32.	Singrauli	1
33.	Satna	1
34.	Shahdol	1
35.	Annupur	1
36.	Umaria	1
37.	INDORE	1
38.	Barwani	1
39.	Khandwa	1
40.	Burhanpur	1
41.	Khargone	1
42.	Dhar	1
43.	Jhabua	1
44.	Alirajpur	1
45.	UJJAIN	1
46.	Ratlam	1
47.	Mandsaur	1
48.	Dewas	1
49.	Neemuch	1
50.	Shajapur	1
51.	Agar- Malwa	1

परिशिष्ट – 3

संविदा पद हेतु मासिक मानदेय राशि का विवरण

क्र.	संविदा पद का नाम	रिक्त संविदा पद संख्या	प्रस्तावित मासिक मानदेय राशि
1	जिला अस्पताल प्रबंधक **(District Hospital Manager)**	51	रू. 25,000/–

संविदा जिला अस्पताल प्रबंधक पद हेतु कार्यदायित्व

- ✓ Plan, organize, direct, control and coordinate day to day activities of the hospital.
- ✓ Developing procedures for medical treatments, as well as ensuring quality
- ✓ assurance and other patient services.
- ✓ Extrapolating data for quality assurance and monitoring purposes.
- ✓ Planning and implementing strategic changes to improve service delivery.
- ✓ Managing clinical, professional, clerical and administrative staff.
- ✓ Procurement of equipment and supplies, and organizing stores.
- ✓ Active participation in hiring contractual doctors, nurses and assistant.
- ✓ Liaise with clinical and non-clinical staff in other health facility, partner organizations.
- ✓ Public relations, ensuring that the facility maintains a positive image.
- ✓ Keeping up with ever-changing medical technology, government regulations, financing options and health insurance benefits.
- ✓ Implementing new policies and directives.

,

परिशिष्ट – 5

राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु संशोधित यात्रा भत्ता नियम

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11.12. 2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुक्रम में एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1/ वर्गीकरण

श्रेणी	संविदा वेतन
(1)	(2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ताः– यात्रा भत्ता नियमों में यात्रा की अवधि में मुख्यालय से अनुपस्थिति पर दैनिक भत्ता ;पूरक नियम 30द्ध मुख्यालय भत्ता ;पूरक नियम 25 की टिप्पणीद्धए विशेष विराम भत्ता ;पूरक नियम 55–ए अनुसारद्ध दिया जाता है। राज्य वेतन आयोग के द्वारा मुख्यालय भत्ता तथा विशेष विराम भत्ते को समेकित कर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। तदानुसार समेकित दैनिक भत्ते की दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल,इंदौर,जबलपुर,ग्वालियर, एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों ;कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़करद्ध के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	200	300	400
बी	160	240	320
सी	120	180	240
डी	100	150	200

3/ यात्रा के साधनः–

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकनॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी

बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नही	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

4/ **ठहरने की पात्रता :—** शासकीय यात्रा के दौरान निम्नानुसार दरों पर ठहरने की सुविधा होगी।

श्रेणी	**दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे**	**प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा इन्दौर, भोपाल जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर ;कालम 2 को छोड़करद्ध के स्थानों में होटल में ठहरने पर**	**प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर**	**प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250

5/ **प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय :—**
राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से यात्रा करने पर स्थानीय यात्राओं हेतु निम्नानुसार पात्रता होगी।

श्रेणी	**संविदा शुल्क अनुसार श्रेणी**	**स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ;रूपये मेंद्ध**	**परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि ;रूपये मेंद्ध**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1200	250
2	बी	800	200
3	सी	500	150
4	डी	300	100

6/ राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत राज्य शासन से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11—12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन अनुसार निर्धारित श्रेणियों के अनुक्रम में यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। प्रमुख सचिव एवं मिशन संचालक के यात्रा देयक वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे।

7/ शासकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार हवाई यात्रा मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति से की जा सकेगी। प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अन्दर हवाई यात्रा हेतु मिशन संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।